

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र  
व्यवहारकुलसचिवजीवाजीविश्वविद्यालय के  
नामसेहीकियाजावे न किकिसीअन्य  
पदाधिकारी के नामसे।  
सम्बन्धितविषय पर यदिपूर्वमें पत्र  
व्यवहारदुआहेतो पत्र क्रमांक एवंदिनांकअवश्य



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजीविश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक: एफ/सम्बद्धता/2017/ 5071

दिनांक : 30-08-2017

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15 मई, 2017 के पद क्रमांक (17) के निर्णयानुसार J.B. COLLEGE JOURA, MORENA को सत्र 2017-18 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

| स.क्र. | प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम/विषय का नाम                          | प्रदान की गयी सीट संख्या |
|--------|--|--------------------------|
| 1      | B.A. (FC, HISTORY, SOCIOLOGY, POL. SCI.)                           | 120                      |
| 2.     | B.Com.   | 120                      |
| 3.     | B.Sc. (FC, BOTANY, CHEMISTRY, ZOOLOGY)<br>ADD. SUB.- MATH, PHYSICS | 120<br>120               |
| 4.     | M.COM. FINAL   | 00                       |
| 5.     | M.SC. FINAL (CHEM.)  | 00                       |
| 6.     | P.G.D.C.A.   | 90                       |
| 7.     | M.A. FINAL (HISTORY)   | 00                       |

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

नोटिस:- उक्त कार्यवाही 15 अक्टूबर 2017 तक पूर्ण करें, अन्यथा सत्र 2018-19 की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रति,


1. प्राचार्य, J.B. COLLEGE JOURA, MORENA

2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोतीमहल परिसर, ग्वालियर।

4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्